अध्याय 5

सेवा कर

75. वित्त अधिनियम, 1994 में,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(अ) धारा 65 में, यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(1) खंड (19) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(2) खंड (19क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(19ख) "कारबार अस्तित्व" के अंतर्गत व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कंपनी या फर्म भी है, किंतु इसके अंतर्गत कोई व्यष्टि नहीं है;';

(3) खंड (25ख) में, "वाणिज्यिक या औद्योगिक सन्निर्माण सेवा" शब्दों के स्थान पर "वाणिज्यिक या औद्योगिक सन्निर्माण" शब्द रखे जाएंगे ;

http://indiabudget.nic.in

(4) खंड (82) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(82) "पत्तन सेवा" से किसी पत्तन या अन्य पत्तन के भीतर किसी रीति से प्रदान की गई कोई सेवा अभिप्रेत है ;';

(5) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (यढ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यढ) किसी व्यक्ति को, किसी पत्तन में पत्तन सेवा के संबंध में किसी रीति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा:

परंतु धारा 65क के उपबंध किसी सेवा को तब लागू नहीं होंगे, जब वह पूर्णतः पत्तन के भीतर प्रदान की गई हो ;";

(ख) उपखंड (ययग) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड और खंड (26), खंड (27) और खंड (90क) में आने वाले "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केंद्र" पद के अंतर्गत कोई केंद्र या संस्थान, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, होगा जहां प्रशिक्षण या कोचिंग प्रतिफल के लिए प्रदान की जानी है, चाहे ऐसा केंद्र या संस्थान तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी न्यास या किसी सोसाइटी या अन्य संगठन के रूप में रजिस्ट्रीकृत है या नहीं और अपने क्रियाकलाप लाभ हेतुक के लिए या इसके बिना कर रहा है और "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;';

(ग) उपखंड (ययठ) और उपखंड (ययड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ययठ) किसी व्यक्ति को, अन्य पत्तन में पत्तन सेवाओं के संबंध में किसी रीति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा :

परंतु धारा 65क के उपबंध ऐसी किसी सेवा को तब लागू नहीं होंगे, जब वह पूर्णतः अन्य पत्तन के भीतर प्रदान की गई हो ;

(ययड) किसी व्यक्ति को, किसी विमानपत्तन या किसी सिविल एन्कलेव में, विमानपत्तन प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा :

परंतु धारा 65क के उपबंध किसी सेवा को तब लागू नहीं होंगे, जब वह पूर्णतः विमानपत्तन या सिविल एन्कलेव के भीतर प्रदान की गई हो ;";

(घ) उपखंड (ययथ) में,—

(i) "सेवा" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे नए भवन का सन्निर्माण, जो किसी बिल्डर या बिल्डर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सन्निर्माण के पूर्व, के दौरान या इसके पश्चात् (ऐसे मामलों के सिवाय, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र के मंजूर किए जाने के पूर्व बिल्डर या बिल्डर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भावी क्रेता से या उसकी ओर से कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है) पूर्णतः या भागतः विक्रय के लिए आशयित है, बिल्डर द्वारा क्रेता को उपलब्ध कराई गई सेवा समझा जाएगा ;";

(ङ) उपखंड (यययज) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे परिसर का सन्निर्माण, जो किसी बिल्डर या बिल्डर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सन्निर्माण के पूर्व, के दौरान या इसके पश्चात् (ऐसे मामलों के सिवाय, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र के मंजूर किए जाने के पूर्व बिल्डर या बिल्डर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भावी क्रेता से या उसकी ओर से कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है) पूर्णतः या भागतः विक्रय के लिए आशयित है, बिल्डर द्वारा क्रेता को उपलब्ध कराई गई सेवा समझा जाएगा ;";

(च) उपखंड (यययढ) और उपखंड (यययण) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(यययढ) किसी व्यक्ति को, किसी रीति में ऐसे प्रायोजन के संबंध में, प्रायोजन प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ;

(यययण) किसी यात्री को, ऐसे यात्री के, समयबद्ध या असमयबद्ध वायुमार्ग द्वारा परिवहन के संबंध में, भारत में वायुयान द्वारा घरेलू यात्रा के लिए या अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए यात्रा आरंभ करने के लिए किसी वायुयान प्रचालक द्वारा ;";

(छ) उपखंड (ययचद) के अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "सरकार द्वारा नीलामी" से नीलामीकर्ता के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा नीलाम की जा रही सरकारी संपत्ति अभिप्रेत है ;';

(ज) उपखंड (ययचय) में,—

(i) "किसी व्यक्ति को" शब्दों से आरंभ होने वाले और "किसी अन्य व्यक्ति द्वारा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 जून, 2007 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"किसी व्यक्ति को, कारबार या वाणिज्य के प्रक्रम में उपयोग या अग्रसरण के लिए, ऐसे किराए के संबंध में स्थावर संपत्ति या किसी अन्य सेवा को किराए पर देना, किसी व्यक्ति द्वारा ।";

(ii) स्पष्टीकरण 1 में, मद (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(v) कारबार या वाणिज्य के अग्रसरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली, पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर भवनों या अस्थायी संरचना के सन्निर्माण के लिए पट्टा या अनुज्ञप्ति पर दी गई, रिक्त भूमि ;";

(झ) उपखंड (यययड) में, "कारबार या वाणिज्य के प्रक्रम या अग्रसरण में प्रयोग के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ञ) उपखंड (ययययच) के स्पष्टीकरण में, उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1999 का 41

"(ii) पालिसीधारक से, उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली उक्त सेवा के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित सकल रकम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा नियत की गई उस अधिकतम रकम के, जो यूनिटबद्ध बीमा योजना के लिए निधि प्रबंध प्रभारों के रूप में या पालिसीधारक से बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित वास्तविक रकम, इनमें से जो अधिक हो, समान होगी ;";

(ट) उपखंड (यययड) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(ठ) उपखंड (यययड) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(यययढ) किसी व्यक्ति को, किसी भी रूप में या किसी भी नाम से ज्ञात, संयोग प्रधान खेलों के, जिसके अंतर्गत लाटरी, बिंगो या लोटो भी है, संवर्धन, विपणन, आयोजन या किसी अन्य रीति में आयोजन में सहायता करने के लिए, चाहे इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रानिक नेटवर्कों द्वारा संचालित किया गया हो या नहीं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(यययण) किसी अस्पताल, परिचर्या गृह या बहु-विशेषज्ञ क्लिनिक द्वारा,—

(i) किसी कारबार अस्तित्व के किसी कर्मचारी को, स्वास्थ्य जांच या प्रतिरोधी देखभाल के संबंध में, जहां ऐसी जांच या प्रतिरोधी देखभाल के लिए संदाय सीधे ऐसे अस्पताल, परिचर्या गृह या बहु-विशेषज्ञ क्लिनिक को ऐसे कारबार अस्तित्व द्वारा किया गया है ; या

(ii) स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति को, किसी स्वास्थ्य जांच या उपचार के लिए, जहां ऐसी स्वास्थ्य जांच या उपचार का संदाय बीमा कंपनी द्वारा सीधे ऐसे अस्पताल, परिचर्या गृह या बहु-विशेषज्ञ क्लिनिक को किया गया है ;

(यययत) किसी कारबार अस्तित्व को कारबार अस्तित्व के कर्मचारियों के चिकित्सा अभिलेखों के भंडारण, रखरखाव या अनुरक्षण के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(यययथ) किसी व्यक्ति को, किसी माल, सेवा या वृत्तांत के ऐसे ब्रांड के संवर्धन या विपणन के लिए या विज्ञापन में और वृत्तांत में उपस्थित होकर या ऐसे माल, सेवा या वृत्तांत के लिए कोई संवर्धनकारी क्रियाकलाप करके किसी कारबार अस्तित्व जिसके अंतर्गत कोई व्यापार नाम, लोगो या गृह चिह्न भी है, के नाम के समर्थन के लिए किसी संविदा के अधीन किसी कारबार अस्तित्व या अन्यथा, के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "ब्रांड" के अंतर्गत प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या ऐसे बनाए गए शब्द हैं जो उक्त माल, सेवा, आयोजन या कारबार अस्तित्व के साथ संबंध उपदर्शित करते हैं;

(यययद) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी वृत्तांत के, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित कला, मनोरंजन, कारबार, खेलकूद या विवाह से संबंधित कोई वृत्तांत भी है, वाणिज्यिक उपयोग या लाभ समुपयोजन का अधिकार या अनुज्ञा देकर किसी व्यक्ति को ;

2003 का 36

(यययध) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 के अधीन गठित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किसी विद्युत केंद्र द्वारा, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, तत्काल संविदाओं, अवधि पूर्व संविदाओं, मौसमी संविदाओं, व्युत्पादित या किसी अन्य विद्युत संबंधित संविदा का व्यापार करने, प्रसंस्करण करने या समाशोधन या समाधान के संबंध में किसी व्यक्ति को ;

1957 का 14

(यययन) किसी व्यक्ति को, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन आने वाले अधिकारों के सिवाय, उक्त अधिनियम में परिभाषित किसी प्रतिलिप्यधिकार को,—

(क) अस्थायी रूप से अंतरित करने ; या

(ख) उपयोग या उपभोग की अनुज्ञा देने के लिए,

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(यययप) क्रेता को, किसी रिहायशी परिसर या किसी वाणिज्यिक परिसर के किसी भवन निर्माता या ऐसे भवन निर्माता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे परिसर के अधिमानी अवस्थान या विकास उपलब्ध कराने के लिए किंतु इसके अंतर्गत उपखंड (ययछ), उपखंड (ययथ), उपखंड (यययज) के अधीन आने वाली और पार्किंग स्थल से संबंधित सेवाएं नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "अधिमानी अवस्थान" से अतिरिक्त फायदे वाला कोई अवस्थान अभिप्रेत है, जो मूल विक्रय कीमत से अधिक अतिरिक्त संदाय प्राप्त कराता है ;'।

(आ) धारा 66 में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, "और उपखंड (यययड)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "उपखंड (यययड), उपखंड (यययढ), उपखंड (यययण), उपखंड (यययत), उपखंड (यययथ), उपखंड (यययद), उपखंड (यययध), उपखंड (यययन) और उपखंड (यययप)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(इ) धारा 73 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई शास्ति इस उपधारा के अधीन सेवा कर और उस पर ब्याज के संदायों की बाबत अधिरोपित नहीं की जाएगी ।";

(ई) धारा 95 की उपधारा (1च) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1छ) यदि वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा इस अध्याय में सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के क्रियान्वयन करने, वर्गीकरण करने या निर्धारण करने की बाबत कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययय) के अधीन की गई कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

1994 का 32

76. वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययय) के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात या किए जाने या लोप की जाने के लिए की गई कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई किसी समय 1 जून, 2007 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 75 के खंड (अ) के उपखंड (5) की मद (ज) की उपमद (i) द्वारा धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययय), में किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देने की कराधेय सेवा पर उक्त अवधि के दौरान सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या किया गया या किया जाने वाला कोई लोप विधिमान्य रूप से इस प्रकार किया गया या लोप किया गया और सदैव किया गया समझा जाएगा मानो उक्त संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ;

(ख) कोई वाद या अन्य कार्यवाही, ऐसे सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में संस्थित नही की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी और की गई ऐसी कार्रवाई या की गई कोई बात या किए गए लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश का कोई प्रवर्तन किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा मानो उक्त संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ;

http://indiabudget.nic.in

(ग) सेवा कर, ब्याज या शास्ति या जुर्माना या अन्य प्रभारों की ऐसी सभी रकमों की वसूली की जाएगी, जिन्हें संगृहीत नहीं किया जा सका है या, यथास्थिति, जिनका प्रतिदाय किया गया है, किंतु जिनका संग्रहण किया जाना था, या, यथास्थिति, प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, मानो उक्त संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता, यदि यह संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ होता ।

http://indiabudget.nic.in